

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 21.08.18

क्रमांक-शिविरा/माध्य/मोनिटरिंग/बोर्ड निर्देश/2017/


समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक)

विषय:- कक्षा 11 एवं 12 में कृषि संकाय के सम्बन्ध में ।
प्रसंग:-शासन का पत्रांक प. 4(3) शिक्षा-1/2015 पार्ट दिनांक 07.08.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के अनुसार स्पष्ट किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पत्र दिनांक 03.03.18 के अनुसार कृषि विज्ञान को विज्ञान वर्ग में सम्मिलित किया गया है। विज्ञान वर्ग के दो उप वर्ग होंगे (1) विज्ञान वर्ग "अ" एवं (2) विज्ञान वर्ग "ब"। विज्ञान वर्ग "ब" में अनिवार्य विषय 1- कृषि विज्ञान 2- कृषि जीव विज्ञान होंगे तथा तीसरे ऐच्छिक विषय के रूप में व्यावसायिक ट्रेड अथवा कृषि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग, पर्यावरण विज्ञान में से कोई एक विषय लिया जा सकेगा।

इस संबंध में शासन स्तर पर दिनांक 06.07.18 को बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के कार्यवाही विवरण दिनांक : 16.07.18 के अनुसार जिन विद्यालयों में कृषि एक विषय के रूप में संचालित किया जा रहा है, वहां कृषि विषय के साथ प्रथम वैकल्पिक विषय के रूप में जीव विज्ञान अथवा कृषि जीव विज्ञान तथा द्वितीय वैकल्पिक विषय के रूप में कृषि रसायन विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान लिये जा सकेंगे।

विषय आवंटन पर कृषि जीव विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान का अध्यापन क्रमशः जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के व्याख्याता द्वारा ही कराया जाएगा। पृथक से प्राध्यापक/अध्यापकों के पद स्वीकृत नहीं किये जाएंगे। उक्त नवीन प्रावधान हेतु विद्यालय स्वयं के स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर नियमानुसार विषय की सक्षम स्वीकृति पर ही तदनुसार विषय संचालन करेंगे, जिस प्रकार अन्य विषयों की स्वीकृति पर करते हैं। अर्थात् विद्यालय में उसी विषय का संचालन किया जावे, जो उसे विषय/संकाय आवंटन आदेश में आवंटित हुए हैं।



(नथमल डिडेले)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
- 3 शासन उपसचिव-प्रथम, शासन सचिवालय, जयपुर
- 4 प्रमुख प्रणाली विशेषज्ञ एन.आई.सी, रमसा, जयपुर को शाला दर्पण में आवश्यक संशोधन कराने हेतु।
- 5 संयुक्त निदेशक (कार्मिक) कार्यालय हाजा.
- 6 समस्त, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
- 7 शाला दर्पण कार्यालय हाजा, एवं शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में मॉड्यूल में परिवर्तन के प्रस्ताव तैयार करवा कर, शाला दर्पण पर अपलोड करावे जिससे किसी प्रकार की विसंगति ना रहे



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर